संख्या–पी–162 / 14–2–2016–800 (148) / 2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 08 दिसम्बर ~~नवम्बर~~ 2016

विषयः– विश्व बैंक पोषित बदायूं–बिल्सी–बिजनौर मार्ग (एस0एच0 51) के चौड़ीकरण हेतु **(1) सम्भल** में किमी0 58.500 से 107.000 तक 38.80 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 6919 वृक्षों के पातन तथा **(2) अमरोहा** में किमी0 107.000 से 137.500 तक 24.40 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4160 वृक्षों के पातन इस प्रकार दोनो जनपदों के समेकित प्रस्ताव में कुल 63.2 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 11079 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्या–8बी / यूपी / 06 / 10 / 2016 / एफसी / 1381, दिनांक 04–02–2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयक प्रकरण में कतिपय आपत्ति करते हुये इंगित आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–872 / समेकित / 10923 / 2015 / यूपी / 026, दिनांक 21–10–2016 द्वारा संशोधित समेकित प्रस्ताव सी0डी0 सहित शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 21–10–2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित समेकित प्रस्ताव सी0डी0 सहित (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति के सम्बंध में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या–पी–162(1) / 14–2–2016–तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।